

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।


पत्र संख्या- रा०कृ०वि०यो०को०-08/2015- 5038 /कृ०,पटना,दिनांक 12/10/2015

शुद्धि पत्र

कृषि विभाग के राज्यादेश संख्या-4580 दिनांक-08.09.2015, राज्यादेश संख्या-4581 दिनांक-08.09.2015 एवं राज्यादेश संख्या-4582 दिनांक-08.09.2015 की कंडिका-8 में अंकित "स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी " के स्थान पर "स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी०टी०सी० फार्म-46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के पी०एल० खाता में अंतरित की जायेगी।" पढ़ा जाय।

शेष यथावत रहेगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अनूप राम)
अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/कृ०, पटना दिनांक 12/10/2015

ज्ञापांक - 5038

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव, 12/10/15

कृषि विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 12/10/2015

ज्ञापांक 5038

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव, 12/10/15

कृषि विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 12/10/2015

ज्ञापांक 5038


प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव, 12/10/15

कृषि विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 12/10/2015

ज्ञापांक 5038

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) योजना, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास



योजना कोषांग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उत्पादन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 50 38

/क०,

पटना, दिनांक 12/10/2015

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली-110011/सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001/डा० बी० बी० पान्डा, वरीय वैज्ञानिक (एग्रेनॉमी), फसल उत्पादन डिवीजन, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), कटक (उड़ीसा) 753006 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अपर सचिव, 10/15

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

कृषि विभाग, बिहार, पटना।


अपर सचिव, 10/15
कृषि विभाग, बिहार, पटना।